क्षेत्र	शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
5. पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा दमण, द्वीप, दादर एवं नगर हवेली
6. मध्य क्षेत्र	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश

मध्य क्षेत्र को छोड़ सभी क्षेत्रों से संबंधित इन समितियों की बैठकों का पहला दौर 1987–1990 के दौरान आयोजित किया गया था। समितियों की बैठकों का दूसरा दौर पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का 29 से 30 सितम्बर, 1994 को भुवनेश्वर में, दक्षिणी क्षेत्र का 4 अक्तूबर, 1994 को त्रिवेन्द्रम में तथा मध्य तथा उत्तरी क्षेत्रों का 25 अक्तूबर, 1994 को जयपुर में आयोजित किया गया था। पश्चिमी क्षेत्र संबंधी समिति की बैठक दिसम्बर, 1994 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रथम दौर और साथ ही साथ दूसरे दौर की बैठकों ने न्यूनतम मजदूरी संबंधी अनेक सिफारिशें की हैं। इनमें एक ही क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी में असमानता कम करना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध विशेष भत्ते के अवयव का प्रावधान जहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध विशेष भत्ते का प्रावधान नहीं है वहां दो वर्षों के अंतराल में एक बार मजदूरी में संशोधन न्यूनतम [illegible] के अंतर्गत दाण्डिक [illegible] मजदूरी अधिनियम [illegible] करना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन में बेहतर अंतर राज्य समन्वय आदि सम्मिलित हैं। इन सभी सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दिया गया है।

Iron-ore export to Japan

*475. SHRI S. AUSTIN : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to reduce the export of iron-ore to Japan ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) and (b) At present Iron ore is being exported to Japan by MMTC and KIOCL under a 5 year contract. Iron ore of Goan origin, being decanalised, is also exported to Japan by private sector producers.

Cheating consumers by printing inflated maximum retail prices

476. SHRI O. P. KOHLI : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) Whether the maximum retail price printed on a product is highly inflated figure having no relevance with the reasonable price of the product consequent to which the consumers are being cheated unabatedly by the manufacturers and retailers;

(b) if so, what steps Government propose to take or have taken to suitably safeguard the interests of consumers at the hands of such manufacturers and retailers;

(c) whether there is any proposal to review the provision of the Weights and Measures Act to specify the maximum retail price ;

(d) if so, the details there of and the action taken thereon ;

(e) whether there is also any proposal to print the ex-factory price on the packaged commodities and cloth to safeguard the interests of consumers; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): (a) The Ministry's attention has been drawn to some reports stating